the payment of interest on the delayed pensionery benefits; and

(d) if so, the details thereof and the action taken or proposed to be taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHURSHEED): (a) and (b) Only one such case has come to the notice of the Govt. The employee retired on 31-10-90 and grautity was paid in this case on 8-1-92.

(c) and (d) Yes, Sir. The matter is receiving the attention of the Government.

Use of less congested ports for despatch of goods

2725. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether his Ministry has recently suggested to the exporters to avoid the use of congested ports like Kandla and instead use other ports which are less congested for despatching their goods; and

(b) what is the reaction of the exporters to Government's suggestion and which are the ports which can be termed as less congested?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SALMAN KHUSHEED): (a) and (b) On 24th January, 1992, the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) advised the exporters of non-basmati rice to make use of ports other than Kandla due to congestion at Kandla Port.

This restriction was, however, withdrawn by APEDA on 14-2-1992 as congestion at Kandla got eased.

वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उपक्रमों/संगठनों में भ्रष्टाचार

2726. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन उपक्रमों/संगठनों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में सूचनाएं मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और कितने अधिकारियों को सेवा से बखास्त किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार और कदाचारों के आरोपों के मामलों में केवल स्थानान्तरण का दंड ही दिया गया है ; और

(घ) भ्रष्टाचार और कदाचारों में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) जी, नहीं सरकार को ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है । इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सम्बद्ध कार्यालय तथा कुछ अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा अनेक बोर्ड, स्वायत्त निकाय तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं । प्रत्येक की एक स्वतंत्र सतर्कता व्यवस्था है । संगत अनुशासनिक एवं आचरण नियमावली के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं कदाचार की सभी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए नियत प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है और जहां कहीं आवश्यक होता है संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।